**न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर**

**प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/3905/2004/उदयपुर**

1. उदयसिंह पुत्र जोरावर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रामा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा जिला उदयपुर

**–प्रत्यर्थी**

**खण्डपीठ**
**श्री मोडूदान देथा, सदस्य**
**श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य**

**उपस्थित**
श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्रीमती पूनम माथुर, अति. राजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी

**निर्णय**

**दिनांक 30.04.2019**

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19–04–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के न्यायालय में प्रतिवादी प्रत्यर्थी के विरूद्ध वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी गिर्वा ने दिनांक

05–10–1977 को खसरा नम्बर 495/2 में से 07बीघा भूमि का आवंटन कर कब्जा दिया, जिसके हाल खसरानम्बर 932 कायम किये गये। आवंटन के आधार पर वादी के नाम नामान्तरकरण संख्या 265 दिनांक 15–10–1977 को तस्दीक किया किन्तु भू–प्रबन्ध विभाग ने राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि को अपीलार्थी के नाम दर्ज नहीं कर सिवायचक दर्ज कर दिया। अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी को उक्त विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी प्रत्यर्थी की ओर से अवसर दिये जाने के उपरान्त जवाबदावा पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द किया जाकर वादी पक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध की। तत्पश्चात् उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–03–2003 से वादी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादी अपीलार्थी की ओर से भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे उन्होंने अपने निर्णय 13–04–2004 से खारिज कर दिया। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर वादी अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित आराजी वादी को आवंटित हुई थी, आवंटन

की पालना में वादी के नाम नामान्तरकरण भी तस्दीक किया जा चुका था। उनका कथन है कि वादी ने आवंटन उपरान्त विवादित आराजी पर काफी श्रम व पैसा लगाकर उपजाऊ बनाया। उनका कथन है कि भू–प्रबन्ध विभाग को विवादित आराजी सिवाय चक दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने सिर्फ तकनीकी आधार पर वाद को खारिज कर दिया कि मिलान क्षेत्रफल के खसरा नम्बरान से मिलान नहीं होता है जबकि स्वयं अधीनस्थ न्यायालयों ने विवादित आराजी पर वादी का कब्जा होना माना है। उनका कथन है कि राज्य सरकार की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को वादपत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर डिक्री किया जाना चाहिए था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को खारिज कर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करते हुए वादी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जावे।

5. योग्य अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी अपीलार्थी ने अपनी दस्तावेजी साक्ष्य से विचारण न्यायालय के समक्ष वाद को प्रमाणित नहीं कराया। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वादी को वाद डिक्री योग्य नहीं था। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के न्यायालय में प्रत्यर्थी के विरूद्ध वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी गिर्वा ने दिनांक 05–10–1977 को खसरा नम्बर 495/2 में से 07बीघा भूमि का आवंटन कर कब्जा दिया, जिसके हाल खसरा नम्बर 932 कायम किये गये। आवंटन के आधार पर वादी के नाम नामान्तरकरण संख्या 265 दिनांक 15–10–1977 को तस्दीक किया किन्तु भू–प्रबन्ध विभाग ने राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि को अपीलार्थी के नाम दर्ज नहीं कर सिवायचक दर्ज कर दिया। अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी को उक्त विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलार्थी ने अपनी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से यह भलीभांति प्रमाणित नहीं कराया है कि अपीलार्थी को जो भूमि वर्ष 1977 में आवंटित की गयी थी, उस पर ही वर्तमान में काबिज काश्त है तथा उक्त भूमि को भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सिवायचक दर्ज किया गया हो। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी ने किसी भी न्यायालय के समक्ष फील्ड बुक व भू–प्रबन्ध खसरा प्रस्तुत नहीं किये गये है। वादी स्वयं को वादपत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत यह प्रमाणित करना आवश्यक था कि वर्ष 1977 में आवंटित भूमि पर ही वह वर्तमान में काबिज काश्त है। वर्ष 1977 में आवंटित भूमि बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वादी का वाद डिक्री योग्य नहीं था क्योंकि खसरा नम्बर 495 का रकबा बहुत बडा था, उसके किस भाग पर अपीलार्थी का निरन्तर कब्जा काश्त रहा है, यह साबित करने का भार वादी स्वयं पर था, जिसे साबित कराने में वादी अपीलार्थी पूर्णतयाः असफल रहा है।

प्रस्तुत प्रकरण वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य से यह भी प्रमाणित नहीं कराया कि हाल खसरा नम्बर 932 जिस पर उसका कब्जा है, उसे आवंटित भूमि खसरा नम्बर 495/2 से बनाया गया हो। उक्त के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय ने विधिसम्मत् निर्णय से वादी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। इसी प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को भी उक्त आधार पर खारिज कर दिया। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है।

8. प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इसी तथ्य एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। इस बाबत् विधिक स्थिति स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

9. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री क्रमशः दिनांक 24-03-2003 एवं दिनांक 19-04-2004 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

**( मोहन लाल नेहरा )**
**सदस्य**

**( मोडूदान देथा )**
**सदस्य**